न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

अपील संख्या 09/2019

श्रीमती फाकिरा बानो पत्नि स्व0 सैयद अहमद हुसैन चिश्ती व अन्य .... प्रार्थी0

बनाम

सैयद मोहम्मद हुसैन चिश्ती पुत्र स्व0 श्री सैयद मोहम्मद सईद वगै0 ....अप्रार्थी

स्थगन आदेश

उपस्थित :— 1. श्री रामसुख चौधरी अभिभाषक प्रार्थी0

आदेश

दिनांक — 03.07.2019

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर के आदेश दिनांक 5.3.2019 क्रमांक क्रमांक भू.अ./वसीयत/2019/39 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत केवियट के तहत रजिस्टर्ड ए0डी नोटिस भी जारी किये गये अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। पत्रावली वास्ते तलबी पूर्ण होने दिनांक 12.6.2019 नियत की गई। अप्रार्थीगण के साधारण एवं रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए। अप्रार्थीगण की प्रोपर तलबी हेतु पुनः नोटिस जारी किये जाने के आदेश कर पत्रावली वास्ते तलबी पूर्ण होने दिनांक 26.6.2019 को नियत की गई। नियत दिनांक 26.6.2019 को उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अप्रार्थीगण के जानबुझकर तामीली से बचने के कथन करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थीगण द्वारा केवियट प्रस्तुत की गई है जिसके रजिस्टर्ड ए0डी नोटिस जारी किये गये है। तत्पश्चात जारी नोटिस अप्रार्थीगण के खुले मकान की चस्पानगी की रिपोर्ट मय गवाह के हस्ताक्षर के प्राप्त हुए है। प्रकरण आवश्यक प्रकृति का है, लिहाजा उन्हें स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना जावें। उपस्थित अभिभाषक अपीलान्ट्स को उनके निवेदन पर स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने मुख्यतः निवेदन किया कि तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 5.3.2019 की अनुपालना में अप्रार्थीगण ग्राम गेगल की विवादित आराजी खाता संख्या 405 कुल किता 15 रकबा 8.64 हैक्टयर एवं खाता संख्या 550 कुल रकबा 5.21 हैक्टयर आराजी का राजस्व रेकार्ड में अपने नाम करवाने हेतु सख्त आमादा हैं, तथा उक्त गैर कानूनी अंकन करवाकर आराजी अन्तरण करना चाहते है। यदि वे अन्तरण करवाने में सफल हो गये तो अपीलान्ट्स/प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति कारित

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

Sharma
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

होगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण, तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 5.3.2019 की क्रियान्विति ता फैसला अपील स्थगित फरमायी जाकर ग्राम गेगल की खाता संख्या 405 व 550 के राजस्व रेकार्ड एवं मौका की यथा स्थिति कायम रखी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने बहस पर मनन किया। रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलान्ट के निवेदित कथनों तथा स्थगन प्रार्थना पत्र तथ्यों के मध्य नजर न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2019 की कियान्विति आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश प्रति तहसीलदार अजमेर को पालनार्थ प्रेषित हों।

आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner